

पत्र सं0—विधि—4(1) परिपत्र पत्रावली भाग—2 (2009—10)/१३/०९।००९५ /वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर, उ0प्र0
(विधि अनुभाग)
लखनऊ/दिनांक/ फरवरी 2010
18

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

मूल्य सर्वधित कर नियम—44 में कर बीजक, विक्रय बीजक, बिल, कैशमिमों, आदि की व्यवस्था की गयी है। उक्त नियम के उपनियम—2 में नोटिफिकेशन सं0—क0नि0—2—241 /ग्यारह—९(२९५) /०७उ0प्र0अध्यादेश—२००७यू०पी०वैटनियमावली०८, दिनांक ०४.२.२०१० द्वारा निम्न प्रतिबंध प्रतिस्थापित किया गया है—

“प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ पर वैट वस्तुओं की बिक्री पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति को रु0 50 हजार अथवा ऐसी धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित की जाये, एवं केता द्वारा भुगतान कार्ड एकाउन्ट पेर्इ चेक से भिन्न रूप में किया जाता है, विक्रेता व्यापारी कमिशनर द्वारा निर्धारित पहचान प्रमाण पत्र केता से स्वयं प्रमाणित प्राप्त करेगा तथा रखेगा।

अग्रेतर प्रतिबंध यह है कि एकल वस्तु के मामले, जिसमें रु0 50 हजार से अधिक का मूल्य है तथा पंजीकृत व्यापारी से भिन्न व्यक्ति को बिक्री हो, उपरोक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।”

नियम—44 के उपनियम—2 के प्रतिबन्ध के अन्तर्गत दिए गए अधिकार का प्रयोग करते हुए पंजीकृत व्यवहारी से भिन्न व्यक्ति को रु0 50 हजार या उससे अधिक धनराशि की बिक्री के संबंध में केता से स्वयंप्रमाणित निम्न पहचान प्रमाण पत्र प्राप्त करके विक्रय बीजक ही बिक्री का साक्ष्य माना जाएगा—

- 1— भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र।
- 2— भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या(पैनकार्ड)।
- 3— पासपोर्ट।
- 4— बैंक पासबुक।
- 5— डाइविंग लाइसेन्स।

कृपया तदनुसार अधीनस्थ अधिकारियों/व्यापारिक संघों एवं अधिवक्ता संघों को अवगत कराते हुए कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(चन्द्रभानु)
कमिशनर वाणिज्य कर, उ0प्र0।


प्र०प०सं०एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्षानिबन्धक उत्तर प्रदेश व्यापार कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य व्यापार कर अधिकरण व्यापार कर, उ0प्र0
- (5) विशेष कमिशनर व्यापार कर, उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ।
- (6) समस्त एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, व्यापार कर उत्तर प्रदेश।
- (7) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यो/विभागो/अपील) व्यापार कर, उत्तर प्रदेश।
- (8) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, व्यापार कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (9) महालेखाकार, १७१ए अशोक नगर, इलाहाबाद।

- (10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (11) प्रबन्धक, इसेटिव, „पिकप, राणा प्रताप मार्ग लखनऊ।
- (12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, व्यापार कर, उत्तर प्रदेश।
- (13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट बिंग, स्टेट ऑफिस आफ द एओजीओआडिट 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (14) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (15) ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमिटी/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य गाजियाबाद।
- (16) ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमिटी/असिस्टेन्ट कमिटी (उन्या० कार्य) लखनऊ/इलाहाबाद।
- (17) मैअनुल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5-5 तथा 10 प्रतियों में।
- (18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियों।
- (19) समस्त अनुभाग अधिकारी, व्यापार कर, मुख्यालय।
- (20) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट बैल फैयर एसो० 185/293 अमीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ।
- (21) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (22) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्य नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, तार प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुंज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (24) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29 बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
- (25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कार्मस, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कार्मस एण्ड इण्ड० 4/180 विशाल खण्ड पी० वी० 1-17 गोमती नगर लखनऊ।
- (27) पी एच डी चेम्बर आफ कार्मस एण्ड इण्ड० 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (28) अवध चेम्बर आफ कार्मस एण्ड इण्ड० द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड० ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (29) आल इन्डिया मैन्युफैकर्चर्स आर्गेनाइजेशन डी०-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
- (30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड० निराला नगर, लखनऊ।
- (31) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों / सम्भागीय सलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य) के माध्यम से।
- (32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (33) शिव कुमार अरोडा, एडवोकेट, महा सचिव, उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसो० जमुना बिहार, एस० एस० कालेज रोड, खतौली जिला मुजफ्फरनगर।
- (34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30 प्र० शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
- (35) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।
- (36) प्रो० श्रीमती रंजना कवकड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
- (37) डा० छेदी लाल साथी, ए०-५/१५७९ इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- (38) श्री बी० एन० राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू० पी० टैक्स बार एसो० 45 चन्द्रिका कालोनी, सिंगरा वाराणसी।
- (39) श्री अशोक धबन सी के -24/ 1 कुंजगली, चौक, वाराणसी।
- (40) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु० नगर।
- (41) श्री पी० एस० जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा।
- (42) श्री बित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) ३० प्र० ट्रूक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि०), पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
- (43) आर० डी० गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद।
- (44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा० ज० पा० निवासी 60 चाहचन्द इलाहाबाद।
- (45) श्री शैलेश मिश्र, महामैत्री, लोहा व्यापार मंडल, तार प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर।
- (46) इन्डियन इण्ड० एसो०, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु० नगर।
- (47) संयोजक, टैक्सेशनियो एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो०, वेस्टर्न यू० पी० (रजि०) 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ।

- (48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
- (49) श्री मलिक विजय कपूर चेरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०प० स्टेट लि० 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
- (50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (51) श्री दिनेश अरोरा ३०प्र० बनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० ५१/५८-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष ३०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० ५६५/५६६ राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-३, पार्क रोड, लखनऊ ।
- (54) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सँगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पॅजी०-बी०-२९, विधायक निवास, दारुल शफाल, लखनऊ ।
- (55) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
- (56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, २७ ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
- (57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष ३०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, ६/६-ए, ३० बी०एन०रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (58) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस २ गोमती नगर लखनऊ ।
- (59) वैट लॉ जनरल १० नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, ६७/११६ सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (३०प्र०)
- (63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, ३०प्र०उद्योग व्यापार मण्डल-२२/२६ आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद
- (64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी, उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-६ गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ, यू०पी० ।
- (65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- १५/५ राजनगर, गाजियाबाद ।
- (66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन, आर०ड०१०सी०-५१, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (67) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, १०३ बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, १ यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।


(राई०एस० सिंह)

ज्वाइन्ट कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।